T802025053646

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - मथुरा, तहसील - सदर
कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025053646
आवेदक का नाम :- उदेदश्य शिक्षा प्रसार समिति मीरपुर परखम द्वारा प्रबंधक महीपाल सिंह
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 12/09/2025

आदेश

उदेदश्य शिक्षा प्रसार समिति मीरपुर परखम द्वारा प्रबंधक महीपाल सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी-ग्राम परखम, तहसील व जिला मथुरा द्वारा मौजा मीरपुर के खाता संख्या 00076 खसरा संख्या 179मि. रकवा 0.4370हे0 में से 0.1270हे0 को कृषिक से अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु अन्तर्गत धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा आख्या दिनांक-26.08.2025 प्राप्त हुयी, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा मीरपुर के खाता संख्या 00076 खसरा संख्या 179मि. रकवा 0.4370हे0 में से 0.1270हे0 पर उदेदश्य शिक्षा प्रसार समिति मीरपुर परखम द्वारा प्रबंधक महीपाल सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी-ग्राम परखम, तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी भी न्यायालय/राजस्व न्यायालय में किसी धारा के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि के उपयोग के संदर्भ में धारा 133 द0प्र0सं0 के अंतर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नहीं हुआ है एवं न ही वर्तमान में प्रचलित है। आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक/सुरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा सहखातेदारों के सहमति शपथ-पत्र संलग्न किये गये हैं। मौके पर प्रश्नगत भूमि पर कराए गए निर्माण का फोटोग्राफ, सी0एच0-41, 45 खसरा, खतौनी व नजरी नक्शा संलग्न है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पत्रांक 1797/म0वृ0वि0प्रा0/2025-2026 दिनांक 12.09.2025 में अंकित किया गया है कि मौजा मीरपुर तहसील व जिला मथुरा को मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदनोपरान्त शासन में संदर्भित है, परन्तु मौजा मीरपुर परखम वर्तमान में प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। अतः प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राकेश द्विवेदी, राजस्व निरीक्षक, ओल का सशपथ बयान दिनांक 19.08.2025 को दर्ज किया गया। तहसीलदार मथुरा की आख्या दिनांक 26.08.2025 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की कलेक्टर महोदय द्वारा कृषि भूमि हेतु निर्धारित सर्किल दर से मालियत 4800000 प्रति हे0 से मूल्यांकन 4800000×0.1270=6,09,600 होती है, जिसका 01 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क 6,096 है एवं 50 रुपए न्यायालय फीस होती है। कुल 6,146 जमा कराए जाने के बिन्दु के साथ प्रश्नगत भूमि अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है। तत्क्रम में आवेदक द्वारा चालान संख्या-आरएजे250090597 दिनांक 03.09.2025 को धनराशि रुपया 6,146 (छः हजार एक सौ छियालीस रुपए) भुगतान किया गया है। अतएव तहसीलदार मथुरा की जांच आख्या के आधार पर उक्त भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किए जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्या दिनांक-26.08.2025 तथा सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा की आख्या दिनांक 12.09.2025 के आधार पर मौजा मीरपुर के खाता संख्या 00076 खसरा संख्या 179मि. रकवा 0.4370हे0 में से 0.1270हे0 पर उदेदश्य शिक्षा प्रसार समिति मीरपुर परखम द्वारा प्रबंधक महीपाल सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी-ग्राम परखम, तहसील व जिला मथुरा को निम्नवत् अकृषिक घोषित/प्रख्यापित किया जाता है।

ग्राम का नाम	खातेदार का नाम बल्दियत व पता	खाता सं0	खसरा संख्या	रकवा	अकृषिक उपयोग में लायी जाने वाली भूमि का विवरण	
					खसरा संख्या	रकवा
1	2	3	4	5	6	7
मीरपुर	उदेदश्य शिक्षा प्रसार समिति मीरपुर परखम द्वारा प्रबंधक महीपाल सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी-परखम, तहसील व जिला मथुरा	00076	179मि.	0.4370	179मि.	0.1270

यह भूमि वर्तमान फसली से भूराजस्व से मुक्त होगी तथा भूमिधर न्यायगमन के विषय में उस व्यैक्तिक विधि से नियंत्रित होगा, जिसके वह अधीन है। तहसीलदार, मथुरा व सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा की आख्या उक्त आदेश का अंग होगी। विपरीत तथ्य पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(अभिनव जे0 जैन)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
मथुरा

प्रतिलिपि-
1. तहसीलदार, मथुरा/उप निबन्धक, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में कर नकल खतौनी एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

T802025053646

(अभिनव जे0 जैन)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
मथुरा

Digitally Signed by:
ABHINAV JAIPARKASH JAIN
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 12-09-2025 10:40:8 PM